रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.—33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 180] दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 17, 2008/कार्तिक 26, 1930 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 235
No. 180] DELHI, MONDAY, NOVEMBER 17, 2008/KARTIKA 26, 1930 [N.C.T.D. No. 235

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 17 नवम्बर, 2008

फा. सं. 4/4/2007/श.वि./21234.—न.दि.न.पा. परिषद् द्वारा शीर्ष 'ख' के अन्तर्गत जल आपूर्ति, जल निकासी एवं कूड़ा संग्रहण से संबंधित उप–विधियाँ नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम 44) की धारा 193 की उप–धारा (4), (7) और (8) के साथ पढ़ते हुये धारा 388 की उप–धारा (1) में वर्णित अनुसार परिषद् की प्रस्ताव संख्या 11(ए–29) दिनांक 22 अगस्त, 2007 के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 391 के अन्तर्गत अपेक्षित अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के पूर्व अनुमोदन से न.दि.न.पा. परिषद् (नलसाजों को लाइसेंस जारी करना एवं नियंत्रण) उपनियम के नाम से बनाये गये निम्नलिखित उप–विधियाँ एतद्द्वारा सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किये जाते हैं :—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भन :—

(1) इन उप–विधियों को "नई दिल्ली नगर पालिका (नलसाजों को लाइसेंस जारी करना एवं नियंत्रण) उप–विधियाँ–2008" कहा जायेगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशित किये जाने की तिथि से लागू होंगे ।

2. परिभाषाएँ :—(1) इन उप–नियमों में जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से तात्पर्य नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम 44) से है;

(ख) "सक्षम प्राधिकारी" से तात्पर्य किसी ऐसे पालिका अधिकारी या पालिका कर्मचारी से है, जिसे अध्यक्ष के आदेश द्वारा इन उप–विधियों के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व सौंपा (प्रभारित) गया है ।

(ग) 'प्रपत्र' से तात्पर्य इन उप–विधियों के साथ संलग्न प्रपत्र से है ।

घ) "लाइसैंस" से तात्पर्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वच्छता एवं पेय जल आपूर्ति कार्यों के निष्पादन हेतु किसी नलसाज को (कार्य करने की अनुमति) प्रदान किये गये लाइसैंस से है ।

ड.) "नलसाज" से तात्पर्य एक फर्म या वैयक्तिक से है जो स्वच्छता (सैनेटरी) एवं पेयजल आपूर्ति कार्यों का निष्पादन कर सकता है ; एवं

च) "धारा" से तात्पर्य अधिनियम की धारा से है ।

2. अधिनियम में प्रयुक्त शब्द एवं अभिव्यक्तियों, जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है, के अर्थ वही होंगे जो उनके लिए अधिनियम में निश्चित किया गया है ।

3. नलसाजों को लाइसैंस जारी करना-

1) प्रत्येक नलसाज को नई दिल्ली स्थित किसी परिसर में पेयजल आपूर्ति सहित जल निकासी से संबंधित कार्य करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से लाइसैंस प्राप्त करेगा ।

2) उक्त उप-विधि (1) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, यदि नलकारी का कार्य किसी केन्द्रीय या राज्य या सरकारी या परिषद् के भवन या परिसर से संबंधित है तथा उसका निष्पादन किसी ऐसे सिविल अभियंता या जन-स्वास्थ्य अभियंता के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में किया जाता है जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान की डिग्री या डिप्लोमा है एवं वह ऐसी सरकार या परिषद् के पास कार्यरत है, जैसा भी मामला हो, अन्यथा हो तो लाइसैंस की अनिवार्यता हेतु आग्रह न किया जाये ।

4. आवेदन प्रपत्रः-

लाइसैंस प्रदान करने के लिए आवेदन सक्षम प्राधिकारी को सम्बोधित करते हुये प्रपत्र 'क' में प्रस्तुत करना होगा ।

5. लाइसैंस प्रदान करने हेतु अर्हतायें- एक आवेदन कर्ता अवश्य -

1. क) प्रत्याशी आई.टी.आई. से नलसाज के रूप में अर्हता प्राप्त हो या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमाधारी हो; अथवा

ख) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो एवं किसी सरकारी विभाग/स्थानीय निकाय/लाइसैंसधारी वास्तुविद्/अभियंता के साथ स्वच्छता या

NDMC

150/c (46) 46

जल संबंधी नलकारी कार्यों के निष्पादन का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव रखता हो; एवं

3. उसके पास उपयुक्त रूप से कार्यरत धुंआ परीक्षण/हाईड्रोलिक (प्रवचलित) मशीन हो ।

6. आवेदन-पत्रों की जाँच एवं परीक्षण आयोजित करना:-

सक्षम प्राधिकारी सभी प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच की व्यवस्था करेगा यदि यह आवश्यक समझा जाता है तो कारणों को लिखित में उल्लेख करते हुये केवल उन आवेदन कर्त्ताओं को लाइसेंस प्रदान करने हेतु उपयुक्तता (पात्रता) के निर्णय हेतु लिखित एवं मौखिक परीक्षा आयोजित करें, जिनके आवेदन पत्र उप-नियम-5 के अनुरूप उपयुक्त पाये जाते हैं । सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी परीक्षा जब कभी भी आवश्यक समझी जाये, आयोजित की जाये ।

7. सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति (अनुमोदन)

सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रार्थी के लाइसेंस प्रदान करने के आवेदन पत्र पर स्वीकृति प्रदान करने के उपरांत, उसे लिखित में सूचित किया जायेगा कि उसके आवेदन पत्र पर स्वीकृति प्रदान कर दी गई है एवं उसे उप-विधि-8 में उल्लेखित अनुसार लाइसेंस शुल्क एवं प्रतिभूति की राशि जमा करानी चाहिए ।

8. प्रतिभूति जमा एवं लाइसेंस शुल्क:-

1. आवेदन कर्त्ता प्रतिभूति की राशि जमा करायेगा तथा ऐसी दरों पर शुल्क का भुगतान करेगा जो परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित अनुसार निम्नलिखित दरों से कम नही होंगी ।

क)	प्रतिभूति जमा	रु0 5000/-
ख)	लाईसेंस शुल्क (लाईसेंस की अवधि हेतु	रु0 2000/-

2. प्रतिभूति जमा एवं लाइसेंस शुल्क का भुगतान 'नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्' के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में करना होगा ।

3. यदि आवेदनकर्ता, उसे आवेदन पत्र की स्वीकृति संबंधी भेजी गई सूचना की तिथि से एक मास के भीतर निर्धारित प्रतिभूति जमा राशि या निर्धारित लाइसेंस शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका आवेदन पत्र रद्द कर दिया गया माना जायेगा ।

9. लाइसैंस प्रदान करना:

सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिभूति जमा एवं लाइसैंस शुल्क की प्राप्ति पर प्रपत्र 'ख' में एक लाइसैंस द्वारा जारी कर दिया जायेगा । इन उपविधियों की एक प्रति नलसाज को प्रदान किये जाने वाले प्रत्येक लाइसैंस के साथ संलग्न की जायेगी ।

10. आवेदन पत्र को रद्द करना:-

जब लाईसेंस हेतु किसी आवेदन पत्र को रद्द किया जाता है तो ऐसे रद्द करने के कारण प्रार्थी को संप्रेषित किये जायेंगे ।

11. लाइसैंसधारी नलसाजों की सूची:-

1) अधिशासी अभियंता (जल आपूर्ति) के कार्यालय के सूचना पट्ट पर लाइसैंसधारी नलसाजों का नाम, पता, फोन न0 एवं लाइसैंस वैधता की तिथि देते हुये एक सूची प्रदर्शित की जायेगी ।

2) इस प्रकार तैयार सूची को प्रत्येक वर्ष की हर तिमाही में अर्थात् जनवरी, अप्रैल, जुलाई एवं अक्टूबर मास के प्रथम सप्ताह की समाप्ति से पूर्व अद्यतन किया जायेगा ।

12. लाइसैंस की अवधि एवं लाइसैंस गुम हो जाने के मामले में डुप्लीकेट लाइसैंस जारी करना:-

1) इन उपविधियों के अन्तर्गत प्रदान किया गया प्रत्येक लाइसैंस जारी किये जाने की तिथि से पाँच वर्षों की अवधि हेतु वैध रहेगा ।

2) लाइसैंस की अवधि समाप्त होने के उपरांत नया लाइसैंस प्रदान करने हेतु ऊपर वर्णित के प्रक्रिया के अनुसार फार्म 'ए' में प्रस्तुत किया जाए या वर्तमान लाइसैंस के नवीकरण हेतु एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाये ।

शर्त यह है, कि वर्तमान लाइसैंस के नवीकरण के आवेदन पत्र के मामले में नये सिरे से प्रतिभूति जमा राशि अनिवार्य नही होगी ।

पुनः शर्त यह है, कि यदि लाइसैंसधारी वर्तमान लाइसैंस की अवधि समाप्ति से 30 दिन की अवधि से पूर्व नवीकरण हेतु आवेदन करता है तो उप-नियम-6 में उल्लेखित अनुसार उसके मामले में सामान्यतः आयोजित की जाने वाली लिखित या मौखिक परीक्षा नहीं ली जायेगी।

3) यदि लाइसैंस गुम हो जाता है तो लाइसैंसधारी इस संदर्भ में पुलिस प्राधिकरण (विभाग) में उसकी रिपोर्ट करेगा एवं अध्यक्ष महोदय ऐसी

जाँच किये जाने के उपरांत जिसे वह उपयुक्त समझता है, आदेशानुसार समय-समय पर निर्धारित शुल्क प्रभारित करने के उपरांत लाइसेंस की डुप्लीकेट प्रति जारी कर सकता है ।

13. नलकारी संबंधी कार्य आदि हेतु प्रभार:-

1) कोई भी लाइसेंसधारी नलसाज अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों या उपविधियों के अन्तर्गत किसी भी उद्देश्य हेतु उसके द्वारा किये जाने वाले कार्य हेतु परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रभारों से अधिक राशि की न तो माँग करेगा एवं न ही प्राप्त करेगा ।

2) उपरोक्त उप-विधि (1) में उल्लेखित प्रभारों की सूची की प्रति परिषद् के अधिशासी अभियंता (जल आपूर्ति) या अधिशासी अभियंता (सीवर प्रणाली), जैसा भी मामला हो, के कार्यालय में नि:शुल्क उपलब्ध होगी ।

14. नलसाजों का निरीक्षण एवं नियंत्रण:

1) अध्यक्ष महोदय किसी भी समय बिना सूचना किसी भी लाइसेंसधारी नलसाज के द्वारा किये कार्य या उसके कार्यस्थल का निरीक्षण कर सकता है ।

2) सक्षम प्राधिकारी का सभी लाइसेंसधारी नलसाजों पर पर्याप्त नियंत्रण बना रहेगा ।

15. कार्य कर्मठता एवं कौशल पूर्ण शैली में किया जाये:-

प्रत्येक लाइसेंसधारी नलसाज कार्य को कर्मठता एवं उपयुक्त कौशल पूर्ण ढंग से करेगा तथा बिना पर्याप्त कारण के कार्य निष्पादन में विलम्ब नहीं करेगा। वह इस संबंध में बनाये गये किसी उप विधियों का उल्लंघन नहीं करेगा ।

16. पाईप एवं फिटिंग अनुमोदित प्रवृति की हो:-

कार्य निष्पादन के दौरान अध्यक्ष द्वारा पूर्व अनुमोदित विनिर्दिष्ट मानक (स्तर) को छोड़कर कोई पाईप, फिटिंग, उपकरण या सामान प्रयोग नहीं किया जायेगा ।

17. बिना अनुमति के कोई कार्य न किया जाये:-

कोई भी लाइसेंसधारी नलसाज अध्यक्ष द्वारा जारी स्वीकृति के सत्यापन के बिना सार्वजनिक मार्ग, पाईप, सीवर, निकास नाली सहित किसी जल कनैक्शन

या फिटिंग या उपकरणों में जोड़ अथवा मरम्मत या अन्य कार्य निष्पादित नहीं करेगा ।

18. लाइसैंसधारी नलसाज के अन्य दायित्व:-

1) प्रत्येक लाइसैंसधारी नलसाज किसी परिसर या भवन में किसी जल पाईप, फिटिंग या अन्य उपकरण के त्रुटियुक्त पाये जाने — जिसके कारण जल का नुकसान हो रहा हो या किसी निकास नाली, जल शौचालय शौचकुण्ड, मूत्रालय या किसी फिटिंग में स्वच्छता कारणों हेतु अपर्याप्त या अन्यथा आपत्तिजनक होने की जानकारी मिलने पर उसकी सूचना अध्यक्ष को करेगा।

2) लाइसैंसधारी नलसाज सौंपे गये सभी मामलों में सामर्थ्यानुसार लागू उप-नियमों एवं आदेशों के कार्यान्वयन में अध्यक्ष महोदय की सहायता करेगा ।

3) एक लाइसैंसधारी नलसाज सौंपे गये सभी कामों में अध्यक्ष द्वारा जारी सभी ऐसे आदेश जो परिस्थितिजन्य मामलों में लागू हैं, के साथ-साथ उपविधियों का अनुपालन करेगा ।

19. लाइसैंस हस्तांतरणीय नहीं:- नलसाज को जारी किया गया लाइसैंस हस्तांतरणीय नही है एवं कोई लाइसैंसधारी नलसाज किसी अन्य व्यक्ति को अपने लाईसेंस के अन्तर्गत व्यवसाय करने हेतु अनुमति प्राप्त करने के उद्देश्य से अपना नाम प्रयोग करने की अनुमति नही देगा।

20. लाइसैंस को निलंबन एवं रद्द (निरस्त) करना:-

इन उपविधियों के अन्तर्गत जारी लाइसैंस सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय निलंबित या रद्द किया जा सकता है, यदि यह संतुष्टि हो जाये कि इसे गलत विवरण या धोखा-धड़ी से प्राप्त किया गया है या लाइसैंस की किसी शर्त या इन उपविधियों के किसी प्रावधान के उल्लंघन में लिप्त रहा है अथवा यह संतुष्टि हो जाये कि लाइसैंसधारी नलसाज ने किसी कार्य को असावधानी पूर्वक या लापरवाही से निष्पादित किया है अथवा निम्नकोटि के पदार्थ, उपकरण या फिटिंग्स का प्रयोग किया है । लाइसैंस निरस्त करने की स्थिति में ऐसा नलसाज प्रतिभूति की राशि अथवा लाइसैंस शुल्क के किसी अंश राशि की वापसी का पात्र नहीं होगा । जिस व्यक्ति का लाइसैंस रद्द किया गया है, उसे लाइसैंस (रद्द) निरस्त करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि में पुनः लाइसैंस हेतु आवेदन करने की अनुमति नही दी जायेगी।

NDMC

बशर्ते –

(अ) लाइसेंस को निलम्बित या (रद्द) निरस्त करने के आदेश करने से पूर्व लाइसेंसधारी को उपयुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा एवं

(ब) ऐसे प्रत्येक आदेश में निलम्बन या रद्द करने के कारणों का संक्षिप्त विवरण दिया जायेगा ।

21. लाइसेंस का अभ्यर्पण:–
यदि कोई लाइसेंस नलसाज किसी कारण से अपना लाइसेंस अभ्यर्पित करने की इच्छा व्यक्त करता है तो वह अपने लाइसेंस को रद्द करने हेतु सक्षम अधिकारी अभ्यर्पित करेगा तथा उसे अपने सभी पिछले बकायों का भुगतान करना होगा। लाइसेंस शुल्क के संबध में कोई परिशोधन (वापसी राशि) की अनुमति नही होगी, लेकिन प्रतिभूति की राशि, समंजन के उपरात, यदि कोई है, लौटा दी जायेगी ।

22. शिकायतों की सुनवाई एवं निपटान:–
परिसरों के स्वामी या अधिवासियों द्वारा लाइसेंसधारी नलसाज द्वारा निष्पादित किये गये कार्य की गुणवत्ता, उपयोग किये गये सामान, कार्य निष्पादन में विलम्ब या लाइसेंस प्राप्त नलसाज द्वारा प्रभारित राशि संबधी परिषद के कार्यालय में प्राप्त सभी शिकायतों की सुनवाई की जायेगी एवं अवलोकन के उपरान्त यथा सम्भव नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय किया जायेगा ।

23. दण्ड (जुर्माना) जो कोई इन उपनियमों के किसी प्रावधान का उल्लघंन करता है, वह धारा 390 के प्रावधानों के अनुसार या लाइसेंस को (रद्द) निरस्त किये जाने हेतु दण्डित किया जायेगा ।

<u>अनुलग्नक-I</u>

फार्म 'क'

(देखें उप विधि-4)

नलसाजी (प्लम्बिग) के कार्य हेतु लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन

सेवा में,
सक्षम प्राधिकारी,
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद,
पालिका केन्द्र,नई दिल्ली.

{ध्यानाकर्षण:– अधिशासी अभियंता (जल आपूर्ति)}

विषय:– नलसाजी (प्लम्बिग) के कार्य हेतु लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन ।

महोदय,

मैंने एतद्द्वारा .... नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् क्षेत्र में नलसाज (प्लम्बर) के रूप में कार्य करने के लिए ....

से पांच वर्ष की अवधि के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन किया है ।

2. मैंने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (नलसाजो को लाइसेंस प्रदान करना तथा नियंत्रण) उपविधियाँ 2008 पढ ली है तथा मुझे इनके प्रावधानों में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम 1994 में वर्णित जलापूर्ति, जल निकासी तथा सीवरेज संग्रहण से संबंधित प्रावधानों की पूर्णतः जानकारी है।

3. मैं एतद्द्वारा उक्त उपविधियों तथा अधिनियम में निर्धारित लाइसेंस प्रदान करने के सभी नियमों एवं शर्तो को स्वीकार करता हूँ तथा उनका पालन करूंगा।

4. मैं एतद्द्वारा इस लाइसेंस के अन्तर्गत अपने दायित्वों तथा उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का हमेशा अनुपालन करने तथा पूर्ण करने हेतु वचनबद्ध रहूँगा ।

5. मैं एतद्द्वारा नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् को किसी भी राशि का भुगतान करने को सहमत हूँ जोकि किसी भी लेखे में मेरे द्वारा परिषद् को देय होगी।

6. मै लाइसैंस प्रदान करने के आवेदन पर स्वीकृति प्रदान करने की सूचना की प्राप्ति होने के एक मास के भीतर .... निम्न भुगतान की राशि .... रूपये जमा करवा दूँगा ।

(1) लाईसेंस शुल्क .... रूपये
(2) प्रतिभूति जमा .... रूपये

7. मैं अपेक्षित अनुसार विवरण निम्न प्रकार से प्रस्तुत कर रहा हूँ:-

1. पूरा नाम :
2. पिता का नाम
3. अर्हताएँ :

NDMC

1561c

4. अनुभव :

5. पता*

भवदीय

(आवेदक के हस्ताक्षर)

स्थान :

दिनांक:

*जब भी पते में परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना सक्षम प्राधिकरण को यथाशीघ्र दी जाए किन्तु परिवर्तन के अधिकतम 7 दिन में ।

फार्म 'बी'

(देखें उप विधि 9)

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद

नलसाजी (प्लम्बिंग) लाइसेंस

नलसाज (प्लम्बर) का नाम ....

लाइसेंस नम्बर ....

नोट: नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (प्लम्बरों के लाइसेंस तथा नियत्रंण) उपविधि, 2008 की प्रतिलिपि संलग्न है ।

(नलसाज (प्लम्बर) का फोटो)

(नलसाज (प्लम्बर) के हस्ताक्षर)

NDMC

नलसाजी (प्लम्बिंग) की लाइसैंस संख्या............................श्री ....पुत्र श्री.. पता............ ....को दिनांक.............. से .... तक पाँच वर्षों की अवधि के लिए जारी किया गया ।

प्रतिभूति राशि .... रूपये (बैंक का नाम व पता)...... .... के डिमांड ड्राफ्ट संख्या ....दिनांक .... के द्वारा जमा करवाई गई ।

नलसाजी (प्लम्बिंग) लाईसेंस शुल्क की राशि.................. रूपये (बैंक का नाम व पता) .... के डिमांड ड्राफ्ट संख्या.............................. दिनांक........... द्वारा जमा करवाई गई ।

सक्षम प्राधिकारी

दिनांक: नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्

नलसाजी (प्लम्बिंग) लाइसैंस सं0 ....एतद्द्वारा दिनांक....................तक पाँच वर्षों की अवधि हेतु नवीनीकृत किया जाता है ।

नलसाजी (प्लंबिग) लाइसैंस शुल्क की राशि रूपये .... (शाखा सहित बैंक का नाम) .... के डिमांड ड्राफ्ट संख्या .... दिनांक .... द्वारा जमा की गई ।

सक्षम प्राधिकारी

दिनांक: नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्

नलसाजी (प्लंबिग) लाइसैंस सं0 .... द्वारा दिनांक..................तक पुनः पाँच वर्षों की अवधि हेतु नवीनीकृत किया जाता है ।

(शाखा सहित बैंक का नाम) ....के डिमांड ड्राफ्ट संख्या .... दिनांक .... द्वारा जमा की गई ।

सक्षम प्राधिकारी

दिनांक: नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Delhi, the 17th November, 2008

F. No. 4/4/2007/UD/21234.— The following Bye-laws titled the New Delhi Municipal Council (Licensing and Control of Plumbers) Bye-Laws, 2008 made by the New Delhi Municipal Council under the head 'B. Bye-laws relating to water supply, drainage and sewage collection" in sub-section (1) of section 388 read with sub-sections (4), (7) and (8) of section 193 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994), vide Council's resolution No. 11(A-29) dated the 22nd August, 2007, after previous publication and with the prior approval of the Government of National Capital Territory of Delhi, as required under section 391 of the said Act, are hereby published for general information, namely:-

NDMC

1. **Short title and commencement.--** (1) These Bye-laws may be called the New Delhi Municipal Council (Licensing and Control of Plumbers) Bye- Laws, 2008.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Definitions.--** (1) In these bye-laws, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994);

(b) "competent authority" means any municipal officer or other municipal employee specified, by order, by the Chairperson, who is charged with the responsibility of implementation of these bye-laws.

(c) "Form" means a form appended to these bye-laws;

(d) "licence" means a licence granted by the competent authority to a plumber for undertaking sanitary and filtered water supply works,

(e) "plumber" means a firm or individual who can undertake execution of sanitary and filtered water supply works;

(f) "section" means a section of the Act.

(2) Words and expressions used herein but not defined and defined in the Act shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. **Licensing of plumbers –** (1) Every plumber shall obtain a licence from the competent authority before carrying out works connected with drainage and filtered water supply of any premises in New Delhi.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-bylaw (1) if the work relates to plumbing in respect of any Central or State or Government or Council building or premises and the same is being executed under the direct supervision of a civil engineer or public health engineer who holds a diploma or degree from a recognized institution and is employed as such by that Government or Council, as the case may be, the necessity of a licence may not be insisted upon.

4. **Application form.-** An application for the grant of a licence shall be submitted to the competent authority in the Form-'A'.

5. **Qualifications necessary for grant of licence.-** A candidate must-

(i) (a) be a qualified ITI plumber, or a diploma or a degree holder in civil engineering from a recognized Institution; or

(b) have passed 12th class of a recognized Board and have a minimum three years experience of execution of sanitation or water plumbing works in any Government department, local body, licensed architect or licensed engineer; and

(ii) have smoke testing machine or hydraulic machine in proper working order.

NDMC

6. **Scrutiny of applications and holding of tests.** - The competent authority shall arrange scrutiny of all applications received and may, if it considers it necessary, for reasons to be recorded in writing, conduct written and oral tests for judging the suitability for grant of a license, only of those applicants whose applications are found to be in order, in accordance with bye-law 5. Such a test may be held as and when considered necessary by the competent authority.

7. **Approval of competent authority.-** After the application of an applicant for the grant of a licence has been approved by the competent authority, he shall be informed in writing that his application has been approved and that he should deposit licence fee and security deposit as prescribed in bye-law 8.

8. **Security deposit and licence fee.-** (1) The applicant shall make the security deposit and pay the fee at such rates which shall not be less than the following, as may be determined, from time to time, by the Council :-

(a)	Security Deposit	Five thousand rupees.
(b)	Licence fee (for the duration of the licence)	Two thousand rupees.

(2) The security deposit and the licence fee shall be payable in the shape of Demand Draft in favour of "The New Delhi Municipal Council".

(3) If the applicant fails to deposit the prescribed security deposit or pay the prescribed licence fee within one month from the date on which intimation was sent to him that his application had been approved, his application shall be deemed to have been rejected.

9. **Grant of Licence.** - On receipt of the security deposit and the licence fee, a licence in Form – B shall be issued by the competent authority. A copy of these bye-laws shall be attached to every licence granted to a plumber.

10. **Rejection of an application.**- When an application for a licence is rejected, the reasons for such rejection shall be communicated to the applicant.

11. **List of licensed plumbers.**- (1) A list of licenced plumbers giving name, address, phone numbers and date upto which the licence is valid, shall be displayed on the Notice Board of the office of the Executive Engineer(Water Supply) of the Council.

(2) The list so maintained shall be up-dated every quarter, i.e. before the end of the first week of January, April, July and October, every year.

12. **Duration of licence and issue of duplicate licence in case of loss etc.** - (1) Every licence granted under these bye-laws shall be valid for a period of five years from the date of its issue.

(2) After the expiry of the duration of the licence, an application for grant of a fresh licence may be submitted in Form 'A' as per procedure outlined above, or an application for renewal of the existing license may be submitted:

Provided that no fresh security deposit shall be necessary in the case of an application for the renewal of the existing licence:

Provided further that if the licensee applies for the renewal of the existing licence within a period of less than thirty days before its

expiry, no written or oral test, referred to in bye-law 6, shall, ordinarily, be conducted in his case.

(3) If the licence has been lost, the licensee shall make a report of the same to police authorities and the Chairperson may, if satisfied and after holding such enquiries as he may think fit, issue a duplicate copy of the licence after charging such fees as are specified by him, from time to time, by order.

13. **Charges for plumbing work, etc.-** (1) No licensed plumber shall, for any work done by him under or for any of the purposes under the Act or the rules or bye-laws made thereunder demand or receive more than the charges prescribed, from time to time , by the Council.

(2) A copy of the list of charges referred to in sub-bye-law (1) above shall be available free of charge in the office of the Executive Engineer (Water Supply) or the Executive Engineer (Sewerage), of the Council, as the case may be.

14. **Inspection and control on plumbers.-** (1) The Chairperson may at any time without notice, inspect any work done by a licensed plumber or his place of business.

(2) Adequate control on all the licensed plumbers shall be exercised by the competent authority.

15. **Work to be done diligently and in workman like manner.-** Every licensed plumber shall execute the work undertaken by him diligently and in a proper workman-like manner and shall not cause any delay in the execution thereof without sufficient cause. He shall not contravene any bye-laws made in this behalf.

16. **Pipes and fittings to be approved.-** In execution of any work no pipes, fittings, appliances or material shall be used unless the same are of specified standard duly approved by the Chairperson.

17. **No work to be done without permission.-** The licensed plumber shall not make any water connection, any addition or alteration in fittings and appliances or carry out any other work in or with reference to public streets, pipes, sewers, drains, without verification of the sanction issued by the Chairperson.

18. **Other obligations of licensed plumbers. –** (1) Every licensed plumber shall report to the Chairperson any defect noticed by him in any premises or building in regard to any water pipe, fitting or other appliance causing wastage of water or in connection with any drain, water closet, privy, urinal or any fitting, appliance connected therewith rendering such drain, privy or urinal insufficient or otherwise objectionable for sanitary reasons.

(2) A licensed plumber, in all matters in which he may be employed, shall afford every assistance in his power to the Chairperson in carrying out and enforcing the bye-laws and orders for the time being in force.

(3) A licensed plumber shall, in every work in which he may be employed, comply with the bye-laws in force and such orders as may be issued by the Chairperson and are applicable to the circumstances of the case.

19. **Licence not transferable.-** The licence issued to a plumber shall not be transferable and no licensed plumber shall allow his name to be used by another person either for the purpose of obtaining permit or for doing business under his licence.

20. Suspension and cancellation of licence.- The licence issued under these bye-laws may at any time be suspended or cancelled by the competent authority if it is satisfied that it has been secured through mis-representation or fraud, or the licensee has indulged in breach of any condition of the licence or any provision of these bye-laws or if it is satisfied that the licensed plumber has executed carelessly or negligently any work or has made use of bad materials, appliances or fittings. In the event of cancellation, such plumber shall not be entitled to the refund of security or any portion of the licence fee. The person whose licence has been cancelled shall not be permitted to apply for a licence again within two years from the date of such cancellation:

Provided that----

(a) before making any order of suspension or cancellation reasonable opportunity shall be accorded to the licensee; and

(b) every such order shall contain a brief statement of reasons for the suspension or cancellation.

21. Surrender of licence.- If any licensed plumber desires to surrender his licence due to any reason he shall surrender his licence for cancellation to the competent authority and he will have to clear all the dues. No refund in respect of licence fee shall be allowed, but the amount of the security deposit, after adjustment, if any, is liable to be refunded.

22. Hearing and disposal of complaints.- All complaints made by the owner or occupier of premises and received in the office of the Council with regard to the quality of work done, material used, delay in execution of work or the charges made, by a licensed plumber shall be heard and decided by the competent authority, after observing, as far as possible, the rules of natural justice.

23. Penalty.- Whoever contravenes any provision of these bye-laws shall be liable for punishment in accordance with the provisions of section 390 and / or cancellation of his licence.

Annexure- I

FORM – A
(SEE Bye-law 4)

Application form for grant of plumbing licence.

To

The Competent Authority
New Delhi Municipal Council,
Palika Kendra,
New Delhi – 110001.

[Attention: Executive Engineer (Water Supply)]

Sub: Application for grant of plumbing licence.

Dear Sir,

I hereby apply for grant of licence as a plumber in New Delhi Municipal Council area for a period of five years from ________________.

2. I have read the New Delhi Municipal Council (Licensing and Control of Plumber) Bye-laws, 2008 and am fully conversant with their provisions and the provisions relating to water supply, drainage and sewerage collection contained in the New Delhi Municipal Council Act, 1994.

3. I hereby accept all the terms and conditions applicable for the grant of licence as laid down in the said bye-laws and the Act and shall abide by them.

4. I hereby undertake to carry out and obey at all times all the instructions given to me by the competent authority for the discharge of my obligations and responsibilities under this licence.

5. I hereby agree to pay to the New Delhi Municipal Council any sum of money that may become due to the Council on any account.

6. I undertake to remit Rs.________________ in payment of,__________

(a) Licence fee Rs.____________________

(b) Security deposit Rs.__________________

With in one month of the date of intimation that my application for the grant of licence to me has been approved.

7. I give below particulars as required:-

1. Name in full :
2. Father's Name :
3. Qualifications :
4. Experience :
5. Address* :

Yours faithfully,

(Signature of applicant)

Place:
Date:

---

* Whenever there is a change in address it may be intimated to the competent authority as soon as possible, but not later than seven days of the change.

FORM – B
(See bye-laws 9)

NEW-DELHI MUNICIPAL COUNCIL

PLUMBING LICENCE

Name of Plumber...

Licence No.:...

NOTE. – A copy of the New Delhi Municipal Council (Licensing and Control of Plumbers) Bye-laws, 2008 is attached.

[Photo of plumber]

(Signature of plumber)

171/c

(67)

Plumbing Licence No. ______________________________ has been issued to Shri ______________________________, son of Shri ______________________________
Address______________________________
____
__on______________________ for a period of five years

Security amounting to Rs. ______________________ has been deposited vide Demand Draft No. ______________________ dated ______________ on (Bank with Branch name)______________________________
____

Plumbing Licence Fee amounting to Rs. ______________________ has been deposited vide Demand Draft No. ______________________ dated ______________________ on (Bank with Branch name)
____
____

Competent Authority
New Delhi Municipal Council

Dated :______________

Plumbing Licence No. ______________ is hereby renewed for a period of five years upto ______________________.

Plumbing licence fee amounting to Rs. ____________________ has been deposited vide Demand Draft No. _______________ dated ____________ on (Bank with Branch name)

____

____________________________________.

Competent Authority
New Delhi Municipal Council

Dated :____________

Plumbing Licence No. ______________ is hereby renewed for a further period of five years upto ______________________.

Plumbing licence fee amounting to Rs. ____________________ has been deposited vide Demand Draft No. _______________ dated ____________ on (Bank with Branch name)

____

____________________________________.

Competent Authority
New Delhi Municipal Council

Dated: ____________

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
KULDEEP SINGH GANGAR, Jt. Secy.